



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052026-272625
CG-DL-E-16052026-272625

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2409]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2026/वैशाख 24, 1948

No. 2409]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2026/VAISAKHA 24, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2026

का.आ. 2501(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर जिले में NH-163G के कि.मी. 281.305 से कि.मी.308.22 (NTR, District) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉइंट कलेक्टर, एनटीआर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर जिले में NH-163G के कि.मी. 281.305 से कि.मी. 308.22 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: कृष्णा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: ग . कौंडुरु					
गांव का नाम: गंगिनेनीपलेम					
1	208-2	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	6996 (वर्ग मीटर)	0.6996
गांव का नाम: मुनागपादु					
2	10-2A	सरकारी	एग्रीकल्चर (गोव्त)	3682.61 (वर्ग मीटर)	0.368261
3	10-3A	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	566.6 (वर्ग मीटर)	0.05666
4	10-3B	सरकारी	एग्रीकल्चर (गोव्त)	526.09 (वर्ग मीटर)	0.052609
5	10-4A	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	2185.28 (वर्ग मीटर)	0.218528
6	10-4B	सरकारी	एग्रीकल्चर (गोव्त)	526.1 (वर्ग मीटर)	0.05261
7	11-4	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	769 (वर्ग मीटर)	0.0769
8	11-6A	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	2306.65 (वर्ग मीटर)	0.230665
9	11-7	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	1133.08 (वर्ग मीटर)	0.113308
10	11-8C	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	364.21 (वर्ग मीटर)	0.036421
11	11-9	सरकारी	एग्रीकल्चर (गोव्त)	1295 (वर्ग मीटर)	0.1295
12	20-1A	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	607.02 (वर्ग मीटर)	0.060702
13	20-2A	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	2104.37 (वर्ग मीटर)	0.210437
14	4-1	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	2266.24 (वर्ग मीटर)	0.226624
15	4-10	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	1335.46 (वर्ग मीटर)	0.133546

16	4-5	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	1335.46 (वर्ग मीटर)	0.133546
17	4-6	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	971.24 (वर्ग मीटर)	0.097124
18	4-7A	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	202.34 (वर्ग मीटर)	0.020234
19	4-7B	सरकारी	एग्रीकल्चर (गोव्त)	2954.21 (वर्ग मीटर)	0.295421
20	4-9	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	1456.87 (वर्ग मीटर)	0.145687
21	55-1C	सरकारी	एग्रीकल्चर (गोव्त)	20.23 (वर्ग मीटर)	0.002023
22	55-3A	सरकारी	एग्रीकल्चर (गोव्त)	3318.43 (वर्ग मीटर)	0.331843
23	55-4	सरकारी	एग्रीकल्चर (गोव्त)	20.23 (वर्ग मीटर)	0.002023
24	6-3	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	485.63 (वर्ग मीटर)	0.048563
25	6-4	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	2185.29 (वर्ग मीटर)	0.218529
26	6-5	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	1456.87 (वर्ग मीटर)	0.145687
27	66-2C	सरकारी	एग्रीकल्चर (गोव्त)	2104.36 (वर्ग मीटर)	0.210436
28	7-10	सरकारी	एग्रीकल्चर (गोव्त)	607.02 (वर्ग मीटर)	0.060702
29	7-11	सरकारी	एग्रीकल्चर (गोव्त)	890.3 (वर्ग मीटर)	0.08903
30	7-7	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	1295 (वर्ग मीटर)	0.1295
31	7-9	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	1942.5 (वर्ग मीटर)	0.19425
32	8-3A	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	6313.09 (वर्ग मीटर)	0.631309
33	8-4	सरकारी	एग्रीकल्चर (गोव्त)	40.47 (वर्ग मीटर)	0.004047
Total					5.426325

[फा. सं. NHA/PIU-KMM/K-V/DPR/LA/3a/2019/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th May, 2026

S.O. 2501(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building

(widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-163G in the stretch of land from Km. 281.305 to Km. 308.22 (NTR, District) in the district of NTR in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Joint Collector , NTR in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-163G in the stretch of land from Km. 281.305 to Km. 308.22 (NTR, District) in the district of NTR in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: KRISHNA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: G . Konduru					
Village: Ganginenipalem					
1	208-2	Common	Agriculture (Assigned Land)	6996 (Square Meter)	0.6996
Village: Munagapadu					
2	10-2A	Government	Agriculture (govt)	3682.61 (Square Meter)	0.368261
3	10-3A	Common	Agriculture (Assigned Land)	566.6 (Square Meter)	0.05666
4	10-3B	Government	Agriculture (govt)	526.09 (Square Meter)	0.052609
5	10-4A	Common	Agriculture (Assigned Land)	2185.28 (Square Meter)	0.218528
6	10-4B	Government	Agriculture (govt)	526.1 (Square Meter)	0.05261
7	11-4	Common	Agriculture (Assigned Land)	769 (Square Meter)	0.0769
8	11-6A	Common	Agriculture (Assigned Land)	2306.65 (Square Meter)	0.230665
9	11-7	Common	Agriculture (Assigned Land)	1133.08 (Square Meter)	0.113308
10	11-8C	Common	Agriculture (Assigned Land)	364.21 (Square Meter)	0.036421
11	11-9	Government	Agriculture (govt)	1295 (Square Meter)	0.1295
12	20-1A	Common	Agriculture (Assigned Land)	607.02 (Square Meter)	0.060702

13	20-2A	Common	Agriculture (Assigned Land)	2104.37 (Square Meter)	0.210437
14	4-1	Common	Agriculture (Assigned Land)	2266.24 (Square Meter)	0.226624
15	4-10	Common	Agriculture (Assigned Land)	1335.46 (Square Meter)	0.133546
16	4-5	Common	Agriculture (Assigned Land)	1335.46 (Square Meter)	0.133546
17	4-6	Common	Agriculture (Assigned Land)	971.24 (Square Meter)	0.097124
18	4-7A	Common	Agriculture (Assigned Land)	202.34 (Square Meter)	0.020234
19	4-7B	Government	Agriculture (govt)	2954.21 (Square Meter)	0.295421
20	4-9	Common	Agriculture (Assigned Land)	1456.87 (Square Meter)	0.145687
21	55-1C	Government	Agriculture (govt)	20.23 (Square Meter)	0.002023
22	55-3A	Government	Agriculture (govt)	3318.43 (Square Meter)	0.331843
23	55-4	Government	Agriculture (govt)	20.23 (Square Meter)	0.002023
24	6-3	Common	Agriculture (Assigned Land)	485.63 (Square Meter)	0.048563
25	6-4	Common	Agriculture (Assigned Land)	2185.29 (Square Meter)	0.218529
26	6-5	Common	Agriculture (Assigned Land)	1456.87 (Square Meter)	0.145687
27	66-2C	Government	Agriculture (govt)	2104.36 (Square Meter)	0.210436
28	7-10	Government	Agriculture (govt)	607.02 (Square Meter)	0.060702
29	7-11	Government	Agriculture (govt)	890.3 (Square Meter)	0.08903
30	7-7	Common	Agriculture (Assigned Land)	1295 (Square Meter)	0.1295
31	7-9	Common	Agriculture (Assigned Land)	1942.5 (Square Meter)	0.19425
32	8-3A	Common	Agriculture (Assigned Land)	6313.09 (Square Meter)	0.631309
33	8-4	Government	Agriculture (govt)	40.47 (Square Meter)	0.004047
Total					5.426325

[F. No. NHAI/PIU-KMM/K-V/DPR/LA/3a/2019/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director